आदेश की क्रम सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया ।

दाखिल–खारिज रीविजन वाद संख्या –02 /2011

अवध यादव एवं अन्य 7(सात) ——————————पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम्

विभिषण यादव एवं अन्य 3(तीन) ——————————विपक्षी

–:आदेश:–

27.11.12

अवध यादव पे0 स्व0 गुणेश्वर यादव एवं अन्य 7, ग्राम – गीद्धा, थाना– अलौली, जिला– खगड़िया ने विभिषण यादव पिता महावीर यादव, ग्राम– लदौरा, थाना– अलौली, जिला– खगड़िया एवं अन्य 3 व्यक्ति को विपक्षी बनाते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या 07/2010–11 में पारित आदेश के विरूद्ध निम्नलिखित व्यौरे की भूमि पर यह पुनरीक्षण वाद दायर किया है :–

मौजा	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा			
			वी0	क0	धूर	धूरकी
मछड़ा	30	2660	04	06	00	00

पुनरीक्षणकर्त्तागण का कहना है कि विपक्षी संख्या–01 विभिषण यांदव ने दिनांक 18.11.2009 को उपरोक्त विवादित भूमि पर दान–पत्र संख्या–938 दिनांक 21.02.1972 के साथ अपने पक्ष में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया जिसपर अलग से नामान्तरण वाद सं0 1213/2009–10 प्रारंभ हुयी ।

अंचल कार्यालय से हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से स्थलीय जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसपर जॉचोपरान्त आवेदक अवध यादव एवं अन्य दखलकार पाये गये ।

पुनरीक्षणकर्त्तागण का यह भी कहना है कि वे अंचल अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर यह आपत्ति लगायी कि दिनांक 20.02.1940 को उनके दादा फौदार गोप ने लगान वाद में नीलामी में विवादित जमीन क्रय किया था । उनका यह भी कहना है कि बहुत पूर्व ही दान–पत्र की दाता नथिया देवी की मृत्यु हो चुकी है और उनके जीवन काल में तथाकथित दान–पत्र को विपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया न ही विवादित जमीन पर कब्जा पाया । इसलिए विपक्षी विभिषण यादव के नाम नामान्तरण नियमानुकुल नहीं है उनका दान–पत्र फर्जी है। अंचल अधिकारी, अलौली ने इसी आधार पर नामान्तरण वाद सं0– 1213/2009–10 को अस्वीकृत कर दिया ।

पुनरीक्षणकर्त्ता का यह भी कहना है कि अपने भाईयो के बीच वे आपसी बंटबारे के आधार पर नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, अलौली के न्यायालय में आवेदन दिया था जिसमें मौजा – मछड़ा, खाता नं0– 30, खेसरा नं0– 2660, रकवा 12वी0 19क0 16धूर जमीन सन्निहित थी । यह जमीन उनके दादा फौदार गोप की थी तथा जमावंदी रैयत के अन्य उत्तराधिकारीगण सीतो गोप एवं शुकल गोप को उक्त भूमि पर कोई सरोकार नहीं था तथा वे लोग कभी उक्त भूमि पर दावा या आपत्ति नहीं की फलस्वरूप अंचल अधिकारी, अलौली ने नामान्तरण वाद सं0 2531/2009–10 स्वीकृत कर दिया । विपक्षीगण ने नामान्तरण वाद सं0– 1213/2009–10 एवं 2531/2009–10 के विरूद्ध विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खगड़िया के न्यायालय में दिनांक 10.07.2007 को अपील वाद दायर कर दिया जो अत्यधिक कालबाधित था । विद्वान भूमि सुधार उप

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के
	2	3

समाहर्त्ता, खगड़िया ने गलत ढंग से अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया ।

पुनरीक्षणकर्त्तागण ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है तथा लिखित बहस भी दाखिल किया है ।

विपक्षीगण ने जबाब दाखिल करते हुए पुनरीक्षणकर्त्तागण के कथन को गलत बताया है। उनका कहना है कि इस वाद में सन्निहित विवादित भूमि मौजा– मछड़ा, थाना नं0– 229, खाता नं0– 30, खेसरा–2660, रकवा 12वी0 19क0 16धूर जमीन के खतियानी रैयत संयुक्त रूप से फौदार गोप, सीतो गोप, शुकल गोप थे जिनके संयुक्त नाम से जमावंदी सं0– 396 कायम थी तथा तीनों जमावंदी रैयत को हिस्सा बराबर प्राप्त था । शुकल गोप ने कालक्रम में अपने एक तिहायी हिस्सा के अनुसार 04वी0 06क0 12धूर भूमि अलग कर लिया । उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी नथिया देवी उक्त भूमि पर दखलकार हुई तथा अपने जीवनकाल में ही निबंधित दान–पत्र दिनांक 21.02.1972 द्वारा 04वी0 06क0 12धूर जमीन विपक्षी विभिषण यादव को लिख दिया तथा उक्त भूमि पर वे दखलकार हुए । अंचल अधिकारी, अलौली ने आधारहीन आपत्ति लगाते हुए उनका दाखिल–खारिज का आवेदन खारिज कर दिया । विपक्षी विभिषण यादव ने उक्त विवादित भूमि को विपक्षी सं0– 02 से 04 के हाथों विक्री कर दिया जिसपर केतागण दखलकार हैं परन्तु अंचल कार्यालय ने पुनरीक्षणकर्त्तागण के नाम से कुल भूमि का दाखिल–खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध उन्होंने विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में अपील वाद दायर किया जिसे स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, अलौली का दाखिल–खारिज आदेश को रद्द कर दिया । उन्होंने यह भी कहा कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ने नियमानुकुल आदेश पारित किया है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना, पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों का भी अध्ययन किया । विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के आदेश का भी अवलोकन किया । अंचल अधिकारी, अलौली के नामान्तरण वाद संख्या 1213/2009–2010 की सच्ची प्रतिलिपि का भी अवलोकन किया । अंचल पदाधिकारी, अलौली ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक अर्थात इस पुनरीक्षण वाद के विपक्षी विभिषण यादव द्वारा जिस जमीन के दाखिल–खारिज हेतु दान–पत्र के आधार पर आवेदन–पत्र दिया उस जमीन के स्वामित्व एवं दखल में नहीं है । विपक्षी अर्थात इस पुनरीक्षण वाद के आवेदक द्वारा प्रस्तुत उनके पूर्वज के द्वारा प्राप्त किये गये नीलामी संबंधी कागजात की छायाप्रति एवं स्थल पर उनके वारिसानों के दखल–कब्जा को देखते हुए एवं आवेदक (विपक्षी) के द्वारा प्रस्तुत दान–पत्र का स्वामित्व एवं दखल–कब्जा नहीं रहने के कारण दाखिल–खारिज का आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं पाया । अंचल पदाधिकारी, अलौली ने आवेदक अर्थात विपक्षी विभिषण यादव का आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अंचल पदाधिकारी, अलौली द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–1213/2009–10 तथा 2531/2009–10 में पारित आदेश को निरस्त करने का आधार यह बताया है कि:–

(1.) अंचल अधिकारी, अलौली ने दाखिल खारीज वाद सं0–1213/2009–10 में अपीलार्थी का दाखिल खारीज अस्वीकृत करने का आधार दान पत्र में वर्णित जमीन का दखल कब्जा एवं स्वामित्व न होना बताया है

आदेश की क्रम संख्या और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

जबकि दान पत्र जमाबंदी रैयत की पत्नि मसोमात नथिया देवी द्वारा दिया है ऐसी स्थिति में स्वामित्व नहीं होने की बात सही नहीं प्रतीत होती है।

(2.) साथ ही दाखिल–खारीज वाद सं0–2531/2009–10 में बँटवारा दाखिल–खारीज प्रारंभ करने से पहले जमांबदी सं0–396 में जमाबंदी रैयत के नाम में सुधार की कार्यवाही करना उचित था साथ ही यदि प्रतिवादीगण (पुनरीक्षीकर्त्तागण) को नथिया देवी द्वारा 1972 में किये गये जमीन के दान–पत्र पर आपत्ति थी तो सर्वप्रथम उसका केन्सीलनामा सक्षम न्यायालय से करवाकर ही बँटवारा दाखिल खारीज वाद लाना चाहिए था जो कि प्रतिवादीगण (पुनरीक्षीकर्त्तागण) नहीं किया।

अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा पारित आदेश एवं विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित आदेश के गहण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी ने विवादित भूमि पर दखल–कब्जा के विन्दु पर अपना आदेश पारित किया है जबकि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने इस विन्दु को गौण रखा है साथ ही पुनरीक्षीकर्त्ताकण ने दावा किया है कि जमाबंदी सं0–396 के कुल अराजी 12बी0 19क0 16धूर ज़मीन वर्ष 1939 में नीलामी रेन्ट सूट में फौदार गोप द्वारा नीलामी के दौरान संपूर्ण राशि का भुगतान कर उसपर दखलकार हुए जिसे अंचल पदाधिकारी ने अपने आदेश में उनके द्वारा दाखिल कागजात के आधार पर संपुष्ट किया है तथा उसपर फौदार गोप के वंशजों को दखलकार पाया है। विपक्षी विभीषण यादव द्वारा 1972 के निष्पादित निबंधित दान–पत्र को 40 वर्ष बाद नामान्तरण हेतु प्रस्तुत करना भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है न ही अपने प्रतिउत्तर में इतने विलम्ब से दाखिल–खारीज हेतु आवेदन पत्र देने का कोई युक्तिसंगत कारण ही स्पष्ट किया है।

उपर्युक्त सारे तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि स्वामित्व के साथ–साथ दखल–कब्जा का होना जमीन का दाखिल–खारीज में महत्वपूर्ण विन्दु है। बिना दखल–कब्जा के नामान्तरण किसी पक्षकार के पक्ष में करना नियम के विरूद्व है। ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा वाद सं0–1213/2009–10 एवं 2531/2009–10 में पारित आदेश नियमानुकुल प्रतीत होता है। चूँकि यह आदेश दखल–कब्जा के बिन्दु पर आधारित है जो नामान्तरण का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विचारनीय विन्दु होता है । इसलिए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के नामान्तरण अपील वाद सं0–07/2010–11 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज वाद सं0–1213/2009–10 एवं 2531/2009–10 में पारित आदेश को बहाल रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

[signature] 27/11/12

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

[signature] 27/11/12

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

डी० पी० नं० 381 / दिनांक 22.12.12
प्रतिलिपि:– श्री कुमार उप समाहर्त्ता, खगड़िया ~~अंचल अधिकारी, अलौली~~ को निम्न सामान्य के अभिलेख सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अंचल अधिकारी अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया